

बिहार सरकार

विधि विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-05-14/2013/10जे0, पटना, दिनांक-31.01.2014

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2401, दिनांक-18.07.2007 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के आलोक में राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मियों की कार्यालय परिचारी के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिनांक-27.01.2014 को विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी की अध्यक्षता में गठित विभागीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री मटुक लाल, सेवा निवृत्त कार्यालय परिचारी, विधि विभाग, बिहार को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए नियोजित किया जाता है।

2. उपर्युक्त नियोजन अस्थायी है तथा जिस रिक्त के विरुद्ध संविदा पर नियोजन किया जा रहा है, उन पर नियमित नियुक्ति होने के बाद उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी।
3. नियोजित कर्मियों की कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और संतोषजनक कार्य नहीं होने पर उन्हें हटाया जा सकेगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों के अनुमान्य आकास्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक के अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे।
6. श्री मटुक लाल, सेवा निवृत्त कार्यालय परिचारी को मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2401, दिनांक-18.07.2007 की कंडिया-(4) में निहित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

ह0/-अनिल कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-...../जे0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-अनिल कुमार सिंह

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-.....790...../जे0, पटना, दिनांक-.....31.01.14

प्रतिलिपि:- विधि (लेखा शाखा) विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विधि विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना तथा श्री मटुक लाल, सेवा निवृत्त कार्यालय परिचारी, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनिल कुमार सिंह  
(अनिल कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।